देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/kdgl/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 30 अक्तूबर 2021

बाहुबली पेट्रोल पंप मालिक की दादागिरी!!!

पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए डाली जा रही 11000 केवी की करीब तीन किमी की अवैध भूमिगत विद्युत लाइन!!!

विद्युत विभाग और NHAI के नियम दरकिनार!!!

ग्रामीणों के विरोध के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्यवाही!!!

विशेष रिपोर्ट-1

जयपुर के नवलपुरा,मनोहरपुर,तहसील शाहपुरा स्थित एक सीएनजी पंप पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोलने का है मामला!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को लेकर आई यह खबर

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए तीन व्यावसायिक मॉडल को अनुमति दी गई है।

By: Kamlesh Sharma
Updated: 16 Aug 2021, 03:36 PM IST Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

जयपुर। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए तीन व्यावसायिक मॉडल को अनुमति दी गई है। इसमें स्वामित्व वाले चार्जिंग स्टेशन के अलावा अब डिस्कॉम भी चार्जिंग स्टेशन लगा सकेंगे। वहीं, पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के तहत भी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खास यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से ग्रिड को बिजली सप्लाई की संभावना भी तलाशी जाएगी। इसके लिए विस्तृत अध्ययन होगा।

चार्जिंग स्टेशन से बिजली खपत भी बढ़ेगी। इससे ग्रिड से आमजन तक बिजली सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके संतुलन के लिए डिस्कॉम में इलेक्ट्रिक वाहन सेल का गठन करना अनिवार्य होगा। यह सेल तय चार्जिंग स्टेशनों पर आवश्यक बिजली खपत और अन्य जगह बिजली की जरूरत के संतुलन पर नजर रखेगा। उसी आधार पर बिजली खरीद की भी प्लानिंग होगी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग पहले ही इस मामले में आदेश दे चुका है, लेकिन कवायद अब शुरू हुई है।

सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रोत्साहन

-ऐसे स्टेशन को ओपन एक्सेस के माध्यम से किसी भी स्त्रोत से बिजली खरीद की अनुमति होगी।

-स्टेशन वितरण लाइसेंसधारी को सूचित करते हुए बैटरी स्वेपिंग स्टेशन स्थापित कर सकेगा।
-रूफ टॉप सौर पैनल सुविधा के साथ भी स्टेशन संचालित किए जा सकेंगे।

-रिन्यूएबल एनर्जी टेरिफ रेगुलेशन, 2020 के अनुसार 31 मार्च 2023 से पहले लगाए गए सोलर पॉवर प्रोजेक्ट द्वारा कैप्टिव रूट के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को बिजली की आपूर्ति के लिए प्रसारण प्रभारी और व्हीलिंग प्रभार में 100 फीसदी छूट मिलेगी।

रात में चार्जिंग पर 15 फीसदी छूट

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज करने (निर्धारित रिचार्ज स्टेशन) के लिए 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली दर होगी। स्थाई शुल्क 40 से 135 रुपए रहेगा। पहली बार टाइम ऑफ डे (टीओडी) व्यवस्था लागू की गई है, यानि चार्जिंग स्टेशन पर रात में वाहन चार्ज करते हैं तो बिजली उपभोग दर में 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह समय रात 11 से सुबह छह बजे तक है।

डिस्कॉम की भी जिम्मेदारी तय

-स्मार्ट चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सभी चार्जिंग स्टेशन पर स्मार्ट मीटर लगाना सुनिश्चित करेगा।

-इलेक्ट्रिक वाहन सेल स्मार्ट चार्जिंग फीचर्स के संबंध में व्हीकल टू ग्रिड और ग्रिड टू व्हीकल के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसे राज्य नोडल एजेंसी को भेजना होगा,जिससे डिस्कॉम भविष्य में बिजली की आवश्यकता में योजना बनाई जा सके।

इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए खुलने है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन

भारत ही दुनियाभर में अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चलन बढ़ने लगा है| अगले साल अप्रैल में मारुति ने अपनी डीज़ल कारों को बंद करने का ऐलान किया है| वहीं, कई और देश साल 2030 तक पेट्रोल-डीज़ल के व्हीकल को बंद करने का फैसला कर चुके हैं| ऐसे में अब पेट्रोलपंप की जगह चार्जिंग स्टेशन खोलकर कमाई करने का बड़ा मौका मिल रहा है| केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर में 25 से 30 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक हों ताकि प्रदूषण कम किया जा सके| वहीं चालू वित्त वर्ष में सरकार का उद्देश्य करीब 4500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का है| ये सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों पर बनाए जाएंगे|

सरकार ने इलेक्ट्रिक वीइकल्स के पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बिजनस के लिए लाइसेंस की शर्त हटा दी है। हालांकि, इस सुविधा के लिए टैरिफ पर उसका नियंत्रण होगा। सरकार ने पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए योग्यता का कोई मापदंड तय नहीं किया है। हालांकि, इनकी निगरानी होगी और इन स्टेशंस को पावर मिनिस्ट्री की ओर से तय किए गए तकनीकी और प्रदर्शन मानकों को पूरा करना होगा|

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस खोलने के लिए लाइसेंस नहीं लेना होगा और कोई भी व्यक्ति इसे खोल सकेगा, लेकिन इसके लिए पावर मिनिस्ट्री की ओर से तय स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा। इसके लिए व्यक्ति को कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। ओपन ऐक्सेस से भी इलेक्ट्रिसिटी लेने की अनुमति होगी।'

जयपुर के नवलपुरा,मनोहरपुर,तहसील शाहपुरा पर स्थित एक सीएनजी पंप पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए डाली जा रही करीब तीन किमी की 11000 केवी की अवैध भूमिगत विद्युत लाइन|

आपको बता दें कि बिना विद्युत विभाग और एनएचएआई की पूर्वानुमति के नवलपुरा,मनोहरपुर,तहसील शाहपुरा जयपुर पर स्थित एक सीएनजी पंप पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से करीब तीन किमी की 11000 केवी की भूमिगत विद्युत लाइन डाली जा रही है|आश्चर्य की बात है कि यह भूमिगत लाइन बिना खातेदारों की अनुमति के उनके खेतों से होकर डाली जा रही है,जिसका स्थानीय निवासी विरोध कर रहे है लेकिन अपने रसूखातों के दम पर पंप मालिक इनके विरोध की भी परवाह नहीं कर रहा है|

विद्युत विभाग और NHAI की बिना अनुमति के हो रहा यह अवैध काम|

आपको बता दें कि भूमिगत विद्युत लाइन दानले के लिए विद्युत विभाग के नियम है,जिनकी पालना आवश्यक है अन्यथा कोई भी दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है|इसी के साथ यदि NHAI के राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक या उनको क्रॉस करके कोई विद्युत लाइन डाली जाती है तो उसके लिए भी NHAI से पूर्वानुमति लेनी होती है,तत्पश्च्यात NHAI स्थानीय निवासियों की आपत्ति आमंत्रित करता है उनके निपटारे के बाद ही NHAI एनओसी जारी करता है|लेकिन इस मामले मे ना तो विद्युत विभाग और ना ही NHAI से कोई अनुमति ली गयी है|ग्रामीणों द्वारा इन विभागो के अधिकारियों के संज्ञान मे मामला लाने के बावजूद अधिकारी कार्यवाही नहीं कर पंप मालिक की ही शह ले रहे है|

क्या होगी कार्यवाही?

देखना यह है कि स्थानीय निवासियों की आपत्ति और नियम विरुद्ध हो रहे इस काम को रुकवाया जाता है या फिर यह रसुखदार अपने मंसूबो मे कामयाब हो जाता है|

स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री माहोदय को लिखा गया पत्र

सेवामें,

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर,।

विषयः– विधुत विभाग के अधिकारी व पुलिस विभाग क अधिकारीयों की मिलिभगत से अवैध रूप से डाली जा रही अण्डर 11000 केबी लाईन को हटाने बाबत व दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गॉव–नवलपुरा, वाया मनोहपुर तह0–शाहपुरा में मेरे घर (नवलपुरा) महादेव फिलिंग स्टेशन से नवलपुरा मोड तक अवैध रूप से विधुत विभाग की बिना परमिशन के व नेशनल हाईवे एनएस–11 के नियमों के विरूद्व रोड के कोने में अवैध रूप से 2 से 3 किलोमीटर अवैध 11000 केवी की लाईन अण्डर ग्राउण्ड डाली जा रहीं है।

1. मेरे द्वारा विधुत विभाग के अधिकारियों व पुलिस विभाग के अधिकारी तथा एनएच–11 के पेट्रोलिंग के अधिकारियों को अवगत कराने के पश्चात भी रातों–रात 1 से 2 किलोमीटर तक रोड के सहारे अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन डाली जा रही है। आस–पास के खातेदारी मालिंको के द्वारा मना करने के पश्चात भी राठोडी में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निजी खातेदारो को डरा धमका कर विधुत पाईप लाईन रातों–रात डाली जा रही है।
2. उक्त पाईप लाईन विधुत विभाग के नियमों के विरूद्व व बिना पैसा जमा करवाये डाली जा रहीं है जिसे रूकवाया जाये।
3. अवैध रूप से डलवाये जा रहीं विधुत पाईप लाईन के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त शिकायत में नियमानुसार कार्यवाही/दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का श्रम करें।

दिनांक - 18/10/2021

भवदीय

रतन लाल यादव
निवासी–गॉव नवलपुरा तह0–शाहपुरा,
मो0 नं0–8852834765, 8005920451